

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती 2016 के सम्बंध में प्राप्त विभिन्न प्रकार की प्राप्त शंकाओं का निराकरण करने के सम्बंध में।

प्रश्न 1— द्वितीय लेवल में अभ्यर्थी किन—किन विषयों के लिए आवेदन कर सकता है ?

उत्तर—इस सम्बंध में स्पष्ट किया जाता है केवल राजस्थान सरकार के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा आयोजित RTET/REET में अभ्यर्थी के द्वारा द्वितीय लेवल में जिन विषय/भाषा के लिए पात्र घोषित किया गया है उन सभी विषय/भाषा हेतु आवेदन कर सकता है।

प्रश्न 2— द्वितीय लेवल में अभ्यर्थी को विषय/भाषा के लिए अलग—अलग आवेदन करना होगा ? शुल्क भी अलग—अलग देय होगा ?

उत्तर—जी हाँ। प्रत्येक विषय/भाषा के लिए अलग—अलग आवेदन पत्र भरना होगा एवं इस हेतु शुल्क भी अलग—अलग भरना होगा। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा किसी एक विषय/भाषा के लिए एक से अधिक आवेदन करने पर अंतिम आवेदन ही मान्य होगा।

प्रश्न 3— जिनका एसटीसी/बीएड का परिणाम अंतिम दिनांक तक नहीं आता है तो क्या वे आवेदन पत्र भर सकते हैं ?

उत्तर—इस सम्बंध में स्पष्ट किया जाता है एसटीसी/बीएड का परिणाम अंतिम दिनांक तक घोषित नहीं होता है तो वे पात्र नहीं हैं।

प्रश्न 4— बीएसटीसी योग्यताधारी तृतीय श्रेणी अध्यापक (प्रथम लेवल) के अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी भर्ती में बीएड योग्यताधारी (द्वितीय लेवल) के अभ्यर्थियों के तहत 12 वीं/सीनियर सैकण्डरी कक्षा में न्यूनतम प्रतिशत के सम्बंध में स्पष्टीकरण।

उत्तर—बिन्दु संख्या 6.5. ख में क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि बिन्दु संख्या 6.5 क में स्नातक के उल्लेखित न्यूनतम प्रावधान राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 7 (4) प्राशि/आयो/2011 जयपुर दिनांक 16.09.2013 (प्रति संलग्न) व पंचायत राज विभाग जयपुर के पत्र दिनांक 30.09.2013 (प्रति संलग्न) द्वारा 12 वीं/सीनियर सैकण्डरी कक्षा में भी न्यूनतम प्रावधान लागू होंगे।

प्रश्न 5—तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती 2016 के बिन्दु संख्या 6 (1) व (2) के सम्बंध में विभिन्न प्रकार की दूरभाष पर आवेदन पत्र भरने वालो के द्वारा यह जानकारी चाही जा रही है कि 05 प्रतिशत की छूट क्या RTET/REET पर भी है अथवा नहीं ?

उत्तर—इस सम्बंध में स्पष्ट किया जाता है कि 05 प्रतिशत की छूट जो दी जा रही है वह केवल शैक्षिक योग्यता (सीनियर हायर सैकण्डरी/स्नातक) के अर्हक अंको में ही नियमानुसार देय है। RTET/REET पर उक्त छूट देय नहीं है।

21

प्रश्न 6— क्या ऑफ लाईन फार्म भरा जा सकता है ?

उत्तर—जी नहीं।

प्रश्न 7— क्या आन लाईन आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट/फोटो प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी है ?

उत्तर—जी हां। भविष्य में किसी संदर्भ में देखने हेतु आवेदक इसे अपने पास सुरक्षित रखे।

प्रश्न 8— नियुक्ति हेतु जिले की प्राथमिकता भरते समय क्या क्या सावधानी रखी जानी है ?

उत्तर— नियुक्ति के लिए जिलों की वरियता प्राथमिकता के आधार पर सावधानीपूर्वक भरी जाये, बाद में किसी भी प्रकार की संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्रश्न 9 — बिन्दु संख्या 7.1 में प्रवेश की तिथि किस कारण से भरी जानी है ?

उत्तर — 7.1 में जो प्रवेश की तिथि आ रही है उसका सम्बंध 6.2 (सीनियर सैकंडरी) व 6.3 (स्नातक) के प्राप्त प्रतिशत से है जो निम्नानुसार


A दिनांक 27.09.2007 से पहले — प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं।

B दिनांक 27.09.2007 से 31.08.2009 तक — 45 प्रतिशत

C दिनांक 31.08.2009 के पश्चात — 50 प्रतिशत

निम्न को A B C नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट देय है

[नियम 6.6 बिन्दु सं 6 (1) व (2) में वर्णित योग्यता मापदण्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन के अर्हक अंकों में नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट देय होगी। मान0 राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एसबी सिविल रिट सं0 10182/2012 राजसानी बनाम राज. राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.10.2012 की पालना में विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं में 5 प्रतिशत छूट देय होगी।]


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
राजस्थान, बीकानेर

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग
प्रादिविक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

दिवंय :- बीएसटीसी योग्यताधारी तृतीय श्रेणी अध्यापक (पथम लेवल) के अन्यार्थीयों को तृतीय श्रणि भर्ती में बी.एड. योग्यताधारी (द्वितीय लेवल) के अन्यार्थीयों की तहत 12 वीं सीनियर सेकेण्डरी कक्षा में न्यूनतम प्रतिशत के संबंध में स्पष्टीकरण।

उपरोक्त दिवंयान्तर्गत लेख है कि दर्ज 2011ईं अध्यापक प्रावता परीक्षा में एनसीटीई की गाइड स्लैफ़ के तहत न्यूनतम उत्तीर्णीक की योग्यता को चिन्ह माननीय उच्च न्यूयालय की छण्ड पीठ सिद्धिन याचिकां संख्या 3964/ 2011 मुश्तिल सामग्री बनान संघर्ष में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2011 द्वारा तय की गई। इस निर्णय की पात्रता में निम्नानुसार निर्देश समन्वयक अध्यापक प्रावता परीक्षा को जारी किये गये थे-

1. स्नातक या समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णीक की योग्यता के बारे उन अन्यार्थीयों के लिए होगी जिन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के लिए प्रवेश एनसीटीई की अधिसूचना दिनांक 31.08.2009 के प्रवापत लिया है।
2. स्नातक या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णीक 45 प्रतिशत की योग्यता उन अन्यार्थीयों के लिए लागू होगी जिन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश एनसीटीई की अधिसूचना दिनांक 27.09.2007 के द्वारा एवं 31.08.2009 के दरम्यान लिया है।
3. इन अन्यार्थीयों ने एनसीटीई की अधिसूचना दिनांक 27.09.2007 के बाहरी ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश लिया है उनके लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णीक प्रतिशत की लोड बाध्यता नहीं होगी।
4. उपरोक्त दिवंयान्तर्गत जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय ने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स उत्तीर्णी अन्यार्थीयों पर भी योग्यता लागू होगी।

दिवंयान्तर्गत अन्यार्थीयों द्वारा विभाग को प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों द्वारा यह जिवेदन किया गया है कि उपरोक्त योग्यताधारी द्वारा विभाग द्वारा शिक्षक भर्ती 2012 में केवल बी.एड. योग्यताधारियों के लिये उपरोक्त निर्देशों द्वारा योग्यताधारियों को इस वाज्ञा से वंचित रखा गया, जबकि माननीय बी.एड. योग्यताधारियों को निर्णय दोनों योग्यताधारियों के लिये लाग रहा।

प्रकरण से पुनर्विचार किया गया। माननीय उच्च न्यूयालय का निर्णय दिनांक 20.05.2011 दोनों ही नोंपत्यार्थीयों के लिये लागू किया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय सीनियर सेकेण्डरी (10+2) या समकक्ष कक्षा उत्तीर्णी अन्यार्थीयों से उत्तीर्णी बी.एड. संख्या 2 के अनुसार योग्यता लागू रहेगी।

झवांसी

(आर.सी. देववाला)
उच्चुकत शासन ३५ सचिव
प्रादिविक शिक्षा (आयोजना)

शासन संचित

ग्रामीण विकास एवं परामर्शी कार्यालय

राजस्थान सरकार

काला पाली, राजस्थान ३०२०२०
संस्कृत दिनांक 16/३/2013

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज प्रारंभ शिक्षा)

जयपुर दिनांक 30.09.2013

क्रमांक: 915(86)पंरावि/प्राशि/2013/896

1. जिला परीक्षा नियंत्रक,
(जिला कलक्टर) समस्त।
2. अंतिम परीक्षा नियंत्रक (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
3. जिला परिषद समस्त।

दिक्षण:- दृष्टीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2012

प्रथम लेवल में रीनिंग सैकड़े हैं न्यूनतम प्रतिशत की बाध्यता के संबंध में।

प्रसांग:- जिला परिषद नागर के पत्रांक 1360 दिनांक 4.9.13 एवं 1408 दिनांक 20.9.13

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्यीय अध्यापक शिला परिषद की अधिकृति

दिनांक 27.09.2007, 31.08.2009 यथारिथमि से पूर्व लीएसटीसी ये प्रठेत लेने के कारण

सीनियर शीकाण्डरी ये अको इनी न्यूनतम प्रतिशत के संबंध में भागीदारी द्वाहा गया है।

इदिन जिला परिषदों द्वारा द्वाहा गये भागीदारी ये काम में रखूँ शिला परिषद का

नया दिनांक 6.09.2013 की अंति नियमानुसार उपरोक्त कार्यवाही हुत संलग्न अधिकारी

उपरोक्त दिनांक सहित।

शासन सचिव एवं आमुका